भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2241
गुरुवार 12 फ़रवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

'उड़ान' के तहत विमानपत्तन, हेलीपोर्ट और वॉटर एयरोड्रम

2241. श्री बसवराज बोम्मईः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'उड़ान' योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष के दौरान परिचालित किए गए विमानपत्तन, हेलीपोर्ट्स तथा जल एयरोड्रम की संख्या कितनी है;

(ख) लक्ष्यों में किसी कमी के क्या कारण हैं;

(ग) देशभर के विभिन्न विमानपत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन-सी विशिष्ट पहल की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने विमान पट्टे (लीजिंग) एवं वित्तपोषण से संबंधित एयरलाइनों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के तहत, वर्ष 2024-25 के दौरान 02 हेलीपोर्टों सहित 06 (छह) वॉटर एयरोड्रोमों को प्रचालनरत किया गया है।

हवाईअड्डों, विशेष रूप से हेलीपोर्टों और वॉटर एयरोड्रोमों के विकास में व्यवहार्यता अध्ययन, डिजाइन, अनुमोदन और निर्माण प्रक्रियाओं के कारण लंबी तैयारी अवधि की आवश्यकता होती है। भूमि की उपलब्धता, अधिग्रहण, पर्यावरणीय और वैधानिक मंजूरियों और विनियामक अनुमोदनों से संबंधित चुनौतियां निष्पादन में और विलंब करती हैं। राज्य सरकारों की अपर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता और निधि संबंधी बाधाएं भी प्रगति को प्रभावित करती है।

एयरलाइनों के पास उपयुक्त विमानों की अनुपलब्धता और एक विकसित हो रही विनियामक फ्रेमवर्क ने भी विलंब में योगदान दिया है।

(ग): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने देश में हवाई कार्गो विकास की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) नामक 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना की है। एएआईसीएलएएस ने एएआई द्वारा प्रबंधित गैर-एईआरए हवाईअड्डों पर स्थापित घरेलू हवाई कार्गो सुविधाओं के लिए अप्रैल, 2023 में सरलीकृत टैरिफ लागू किया है। नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने टियर-II और टियर-III शहरों के हवाईअड्डों पर एएआईसीएलएएस स्व-प्रबंधित हवाई कार्गो टर्मिनलों के लिए सीमा शुल्क लागत वसूली प्रभारों (सीसीआरसी) को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए अनुदान को अनुमोदन दिया है।

(घ) : सरकार ने गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) की स्थापना की है और देश के पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक प्रथाओं के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। इसके अलावा, सरकार ने देश में विमान लीज़िंग और वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए कर छूट, अवकाश, आदि जैसे विभिन्न विनियामक और राजकोषीय सुधार किए हैं।

विमान वस्तुओं में हितों के संरक्षण अधिनियम, 2025 को वर्ष 2025 में संसद द्वारा पारित किया गया था और नागर विमानन मंत्रालय ने इसके तहत अपेक्षित नियमों को अधिसूचित किया है। यह अधिनियम दिनांक 01.05.2025 से लागू हो गया है।

हाल ही में, केंद्रीय बजट 2026-27 में यह प्रस्ताव रखा गया है कि आईएफएससी में इकाइयों के लिए धारा 147 के तहत कटौती की अवधि 25 वर्षों में से लगातार 20 वर्षों तक बढ़ाई जाए और ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) के लिए भी यह अवधि लगातार 20 वर्षों तक बढ़ाई जाए। यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि कटौती की अवधि की समाप्ति के पश्चात आईएफएससी से इन इकाइयों की व्यावसायिक आय पर 15% की दर से कर लगाया जाएगा।

*****